

ग्राम पंचायतों द्वारा ग्राम सभा क्षेत्र में करों और फीस को अधिरोपित करने बारे मार्गदर्शन

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 100 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत ग्राम पंचायते, संकल्प के माध्यम से पूर्व प्रकाशन के उपरान्त ग्राम सभा क्षेत्र में, निम्नलिखित कर, फीस, सैस अधिरोपित करने के लिए सक्षम हैं:-

- आवासीय भवनों पर कर।
- वाणिज्यिक भवनों पर कर।

आवासीय और वाणिज्यिक भवनों पर सम्पत्ति कर ऐसे भवन के स्वामी से लिया जाएगा।

इसी प्रकार से उपरोक्त अधिनियम की धारा 100 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत ग्राम पंचायत सभा क्षेत्र में निम्नलिखित फीसों भी अधिरोपित कर सकती है:-

- मेलों में दुकानदारों से तहबाजारी।
- गलियों की सफाई, गलियों में प्रकाश व्यवस्था, स्वच्छता, ठोस और द्रव्य कूड़ा प्रबन्धन, वाहनों की पार्किंग के लिए सेवा फीस।
- सभा क्षेत्र में बेचे गए पशुओं के रजिस्ट्रकरण के लिए फीस; और
- पानी की दर, जहां पानी की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा की जाती है।

पंचायतों द्वारा करों को लगाने की प्रक्रिया:-

हिमाचल प्रदेश (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, करधान और भत्ते) नियम, 2002 के नियम 32 में उपरोक्त अधिनियम की धारा 104 के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायतों द्वारा कर लगाने की प्रक्रिया दर्शाई गई है, और पंचायतों द्वारा उपरोक्त अधिनियम की धारा 100 के अन्तर्गत भी करारोपण हेतु वही प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:-

- पंचायत की बैठक में इस सन्दर्भ में प्रस्ताव को पारित किया जाएगा तथा ग्राम पंचायत, पंचायत सचिव/पंचायत सहायक की मदद से, पहले तो यह निश्चित करेगी कि किस वर्ग के व्यक्तियों पर कर लगाया जाना प्रस्तावित है, किस प्रकार की सम्पत्ति पर किस दर से कर लगाने की प्रस्तावना है।
- ग्राम पंचायत की करारोपण की प्रस्तावना का प्रचार नोटिस (नमुना प्रारूप परिशिष्ट-क) द्वारा करना इसलिए आवश्यक है ताकि कर लगाने से जो लोग

प्रभावित होंगे उनसे आपत्तियां तथा सूझाव मांगें जा सकें। ग्राम पंचायत की करारोपण की प्रस्तावना पर आपत्तियों और सुझावों को प्राप्त करने के लिए 30 दिन की अवधि का समय दिया जाए।

- करारोपण की प्रस्तावना के नोटिस की एक प्रति ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर दर्शित की जाएगी तथा एक-एक प्रति ग्राम पंचायत के क्षेत्र में किन्हीं सहजदृश्य स्थानों पर चिपकाकर प्रदर्शित की जाएगी ताकी सभी ग्राम सभा सदस्यों को इस बारे में जानकारी प्राप्त हो सके।
- नोटिस के प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर, इस सम्बंध में ग्राम सभा सदस्यों से प्राप्त आपत्तियों तथा सुझावों, यदि कोई हों, पर ग्राम पंचायत की बैठक में विचार विमर्श करने के उपरान्त, प्रत्येक आपत्ति/सुझाव पर अपने विचार प्रस्तुत करेगी और ग्राम पंचायत का सचिव/पंचायत सहायक प्रत्येक आपत्ति/सुझाव पर ग्राम पंचायत के मत को अभिलिखित करेगा जिसके पश्चात् ग्राम पंचायत के करारोपण का प्रस्ताव, प्राप्त आपत्ति/सुझाव और उन पर ग्राम पंचायत का मत आगामी ग्राम सभा में विचार तथा चर्चा हेतु रखा जाएगा।
- ग्राम पंचायत द्वारा करारोपण के प्रस्ताव पर ग्राम सभा की बैठक में लिये गए निर्णय अनुसार ग्राम पंचायत क्षेत्र में उपरोक्त करों को लगाने और ऐसे करों और फीसों की दरों को निर्धारित करने बारे अन्तिम अधिसूचना ग्राम पंचायत द्वारा जारी की जाएगी जिसका नमूना प्रारूप परिशिष्ट-ख पर दिया गया है।

पंचायतों द्वारा कर की दरों को निर्धारित करने के लिए उदाहरण:-

(1) आवासीय भवनो पर सम्पत्ति कर

आवासीय भवन के कुल क्षेत्र के आधार पर:-

क्र०सं०	विवरण	रेट
1	जहां गृह स्वामी का आवास (मकान) 40 वर्ग मीटर क्षेत्र बना है।	20/- प्रति वर्ष या ग्राम पंचायत जैसा उचित समझे।
2	जहां गृह स्वामी का आवास (मकान) 40 से 100 वर्ग मीटर क्षेत्र बना है।	50/- प्रति वर्ष या ग्राम पंचायत जैसा उचित समझे।

3	जहां गृह स्वामी का आवास (मकान) 100 वर्ग मीटर क्षेत्र बना है।	75/- प्रति वर्ष या ग्राम पंचायत जैसा उचित समझे।
---	--	---

या

प्रत्येक आवास (मकान) के लिए स्थाई कर लागू कर सकती है। उदाहरणतः व्यक्ति के प्रत्येक मकान पर मु0 50/- प्रति वर्ष।

(ग्राम पंचायते उक्त दरों को अपने स्तर पर निर्धारित करेगी और यह भी निर्णय ले सकती है कि बी0पी0एल0 (गरीबी रेखा से नीचे) के गृह स्वामी और गैर बी0पी0एल0 (गरीबी रेखा से उपर) के गृह स्वामीयों से आवासीय कर अलग-अलग दरों पर भी निर्धारित की जा सकती है।)

(2) वाणिज्यिक भवनों पर सम्पत्ति कर

क्रम सं०	विवरण	उदाहरण के लिए दरें
1	जहां गृह स्वामी का आवास (मकान) वाणिज्यिक प्रयोजन हेतु प्रयोग में लाया जा रहा है और जिसका क्षेत्रफल 100 वर्ग फुट से कम हो।	मुल्य 100/- प्रति वर्ष या ग्राम पंचायत जैसा उचित समझे।
2	जहां गृह स्वामी का आवास (मकान) वाणिज्यिक प्रयोजन हेतु प्रयोग में लाया जा रहा है और जिसका क्षेत्रफल 100 वर्ग फुट से कम हो।	मुल्य 150/- प्रति वर्ष या ग्राम पंचायत जैसा उचित समझे।

होटल

जो होटल पंचायत क्षेत्र में निर्मित है से निम्न प्रकार से कर की दरें निर्धारित की जा सकती हैं:-

क्रम सं०	विवरण	उदाहरण के लिए रेट
1	जहां पर होटल में 5 से कम कमरे हो।	500/- प्रति वर्ष या ग्राम पंचायत जैसा उचित समझे।
2	जहां पर होटल में 5 से अधिक 10 तक कमरे हो।	1000/- प्रति वर्ष या ग्राम पंचायत जैसा उचित समझे।
3	जहां पर होटल में 10 से अधिक 15 तक कमरे हो।	2500/- प्रति वर्ष या ग्राम पंचायत जैसा उचित समझे।

4	जहां पर होटल में 15 से अधिक 20 तक कमरे हो।	2500/- प्रति वर्ष या ग्राम पंचायत जैसा उचित समझे।
5	जहां पर होटल में 20 से अधिक कमरे हो।	5000/- प्रति वर्ष या ग्राम पंचायत जैसा उचित समझे।

- **मेलों में दुकानदारों से तहबाजारी** दुकान के क्षेत्रफल के अनुसार प्राप्त की जा सकती है। मान लो दुकान 10 वर्ग मी० है तो मु० 30/- रू० प्रतिदिन के हिसाब से $30 \times 10 = 300/-$ इसी प्रकार से जितने दिन तक मेला चलेगा उतने दिनों की गणना की जाएगी।
- **गलियों की सफाई, गलियों में प्रकाश व्यवस्था, स्वच्छता, ठोस और द्रव्य कूड़ा-कचरा प्रबन्धन** के लिए ग्राम पंचायत एक समय फीस के रूप में तथा उसके उपरान्त प्रतिमास फीस की दर निर्धारित कर सकती है। मान लो एक समय उक्त प्रयोजन हेतु ग्राम पंचायत 100 या 200 रू० फीस निर्धारित करती है उसके उपरान्त वे प्रति परिवार के हिसाब से 5 या 10 रू० प्रतिमास कर लगा सकती है।
- **वाहनों की पार्किंग** के लिए सेवा फीस, जहां पर पंचायत ने वाहनों के लिए पार्किंग व्यवस्था की है वहां पर ग्राम पंचायत छोटे वाहनों के लिए 6 घण्टे के लिए 5 रू० 12 घण्टे के लिए 10 रू० तथा 24 घण्टे के लिए 15 रू० की फीस निर्धारित कर सकती है इसी प्रकार से बड़े वाहनों के लिए इससे दुगुनी राशी की दर से फीस लगा सकती है।
- **सभा क्षेत्र में बेचे गए पशुओं के रजिस्ट्रीकरण** के लिए फीस ग्राम पंचायत प्रति पशु की दर से लगा सकती है। उदाहरणतः 10 रू० प्रति पशु या पशु के विक्रय मु० का 2 प्रतिशत के हिसाब से।
- **पानी की दर**, जहां पानी की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा की जाती है वहां प्रत्येक घर में नल के हिसाब से अर्थात् 10 रू० प्रति नल प्रति मास के हिसाब से या 100 रू० प्रति मासिक दर से ग्राम पंचायत प्रति पानी के कुनैक्शन की दर लगा सकती है।

कार्यालय ग्राम पंचायत....., विकास खण्ड....., जिला.....

सूचना

सं०

दिनांक....

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 100 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ग्राम पंचायत सभा क्षेत्र में निम्न प्रकार से कर और फीस लगाने की प्रस्तावना है:-

- आवासीय और वाणिज्यिक भवनो पर सम्पत्ति कर
- तहबाजारी, गलियों की सफाई, गलियों में प्रकाश व्यवस्था, स्वच्छता, ठोस और द्रव्य अपशिष्ट प्रबन्धन, वाहनों की पार्किंग के लिए सेवा फीस, पशुओं के रजिस्ट्रीकरण के लिए फीस और पानी की दर।

क्र०सं०	प्रस्तावित कर, फीस ईत्यादि की किस्म	कर, फीस ईत्यादि की प्रस्तावित दरें

यदि सभा क्षेत्र के लोगों को उपरोक्त प्रस्तावित करों के बारे में कोई आपत्ति या सुझाव हो तो वे उसे लिखित रूप में इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से तीस दिनों के भीतर ग्राम पंचायत के सचिव/पंचायत सहायक को प्रस्तुत कर सकते हैं और निर्धारित अवधि के पश्चात् प्राप्त आपत्ति और सुझावों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

ग्राम पंचायत की उपरोक्त प्रस्तावना और उस पर प्राप्त आपत्ति व सुझाव, यदि कोई हों, ग्राम सभा की बैठक में चर्चा व उचित निर्णय हेतु रखे जाएंगे। इस बारे में अन्तिम अधिसूचना, ग्राम सभा के निर्णय के आधार पर जारी की जाएगी।

सचिव ग्राम पंचायत

प्रधान ग्राम पंचायत

कार्यालय ग्राम पंचायत....., विकास खण्ड....., जिला.....

अधिसूचना

सं०

दिनांक....

क्योंकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 100 की उप-धाराओं (1) और (3) के प्रावधानों के अन्तर्गत ग्राम पंचायत द्वारा नोटिस संख्या दिनांक के अन्तर्गत सभा क्षेत्र में निम्न प्रकार से कर और फीस लगाने हेतु नोटिस जारी किया गया था ;

और क्योंकि सभा क्षेत्र के लोगों को उपरोक्त प्रस्तावित करों के बारे में प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर ग्राम पंचायत एवं ग्राम सभा द्वारा समयक रूप से विचार विमर्श किया गया ;

अतः हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 100 की उप-धाराओं (1) और (3) के प्रावधानों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ग्राम पंचायत..... के क्षेत्र में निम्नलिखित करों को लगाने (उद्गृहीत) करने के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र०सं०	प्रस्तावित कर, फीस ईत्यादि की किस्म	कर, फीस ईत्यादि की प्रस्तावित दरें

यह भी आदेश दिये जाते हैं कि ये कर तत्काल रूप में प्रभावित होंगे।

सचिव ग्राम पंचायत

प्रधान ग्राम पंचायत